अपील सं. 2018/000324 (203/2018) 225 आर टी ए

सलामूदीन पत्र अब्दुल खॉ जाति मुसलमान उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड सं0 1 रावतसर जिला हनमानगढ।
––अपीलांट

बनाम

1. नगरपालिका मण्डल रावतसर जरिये अधिशाषी अभियन्ता नगरपालिका जिला हनमानगढ
2. अध्यक्ष नगरपालिका रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 08.06.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर प्र0सं0 23/2018 अनवानी सलामूदनी बनाम नगरपालिका

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मांगेराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पा0

निर्णय दिनांक:–11.03.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धरा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत करते हुए चक 2 केडब्ल्यूडी में स्थित भूमि पर रेस्पोडेण्ट के विरूद्व यह स्थगन आदेश मांगा गया कि वह अपने आदमियों द्वारा जबरदस्ती विधि विरूद्व तरीके से कोई निर्माण नही करें व सडक व रास्ता निकालने से ताफैसला वाद निषेध रहे। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने अपने निर्णय दिनांक 08.06.2018 के द्वारा रास्ता खुलवाने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली मौका रिपोर्ट हेतु रखी गई थी। लेकिन किसी अन्य प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट मौका को मौजूदा प्रकरण में शामिल कर जल्दबाजी में अगली पेशी 06.08.2016 को विधिक प्रावधानों के विपरीत मूल पत्रावली में रिपोर्ट आये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने नायब तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की थी, परन्तु आदेशानुसार रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, जिस पर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। जिसका वह स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। प्रश्नगत भूमि में कोई गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं है। रेस्पोडेण्ट का प्रश्नगत भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलाण्ट के पक्ष में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्त रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रावतसर की रिपोर्ट दिनांक 16.05.2018 के अनुसार गठित टीम उप तहसीलदार पल्लू के नतृत्व में आधुनिक यंत्र जीपीएस से करवाया जाकर पारित किया गया है। जिसके अनुसार नगर पालिका द्वारा प्रश्नगत रास्ता खुलवाया जाना सार्वजनिक हित देखते हुए उचित माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट का दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसके साथ प्रार्थना–पत्र स्थाई निषधाज्ञा प्रस्तुत हुआ है, जिसे खारिज कर दिया गया है। पक्षकारान में एक तरफ रिकार्डेड खातेदार व दूसरी तरफ नगरपालिका की भूमि है। मुख्य विवाद सीमाज्ञान का है, जिसके संबंध में दो बार सीमाज्ञान करवाया गया है। दोनों बार अलग अलग सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त हुई है। नगरपालिका की ओर से विवादग्रस्त स्थल को आबादी भूमि का भाग बताते हुए रास्ते के रूप में पक्का निर्माण करवाना चाहते हैं जबकि अपीलार्थी उस भूमि को रिकार्डेड खातेदारी की भूमि बताते हुए निर्माण पर आपत्ति की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद अभी जेरकार है, जिसका निस्तारण साक्ष्यों एवं सीमाज्ञान के परिक्षण के पश्चात् होना है। जमाबन्दी में प्रश्नगत भूमि पर कोई रास्ता दर्ज नहीं है एवं ना ही ऐसा कोई तथ्य आया है कि खातेदारान अपनी नाम दर्ज भूमि से अधिक भूमि पर काबिज है। यदि विवादग्रस्त भूमि पर पक्का निर्माण कर लिया जाता है तो दावे का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। क्योंकि दोनों सीमाज्ञान अलग अलग हैं। अधिनस्थ न्यायायल दावे के निस्तारण से पूर्व सीमा संबंधी विवाद को पुनः सीमाज्ञान करते हुए निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु बिना पूर्ण साक्ष्यों के परीक्षण से पूर्व विवादग्रस्त भू भाग पर पक्का निर्माण हो जाने से दावे का मकसद ही समाप्त हो जावेगा और अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2019 खारिज किया जाता है। उभयपक्ष ताफैसला वाद विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11/3/19

(मूल चन्द)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official